न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
48 / 2022	04.05.2022	12.01.2024

पीठासीन अधिकारी–विजेन्द्र कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

उनवान

1– कृष्णावतार मीणा आत्मज बिरधीलाल जी जाति मीणा निवासी बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1– हरिराम आत्मज बिरधीलाल जी जाति मीणा निवासी बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

2– यशोधरा पुत्री बिरधीलाल जी, पत्नी रिंकू जी जाति मीणा निवासी बाजड तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0

3– बिरधीलाल आत्मज मोतीलाल जी जाति मीणा निवासी बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

4– गंगाबाई पत्नी छीतरलाल जाति माली निवासी गोकुल कॉलोनी बोरखेडा कोटा राज0

5– दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से – श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से– श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89,188 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–
संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि

1– यह कि ग्राम बृजपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता सं0 50 नया, 43 पुराना में खसरा नम्बर 75 की रकबा 0.75 हेक्टर व खसरा नम्बर 76 की 1.05 हेक्टर कुल दो किता की 1.80 हेक्टर भूमि प्रतिवादी नं0 3 के खाते में दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 संलग्न है।

2– यह कि इसी प्रकार ग्राम बृजपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 114 की 2.52 हेक्टर भूमि प्रतिवादी नं0 3 व गंगाबाई के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रतिवादी नं0 3 का 1/4 हिस्सा दर्ज है।

3– यह कि वादी व प्रतिवादी नं0 1 , प्रतिवादी नं0 3 के पुत्र व प्रतिवादी नं0 2 पुत्री है। उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है तथा प्रतिवादी नं0 3 ने उक्त भूमि में से कुछ कुछ भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 1 को अपने परिवार के गुजारे हेतु दी हुई है। जिसको वादी व प्रतिवादी नं0 1 काश्त करते हुये चले आ रहे है।

4– यह कि प्रतिवादी नं0 2 प्रतिवादी नं0 3 की पुत्री है जिसने अपने पिता के खाते व हिस्से की भूमि में कोई भूमि नहीं लेना चाहती है ओर अपना हिस्सा अपने भईयों प्रतिवादी नं0 1 व वादी के पक्ष में हकत्याग कर दिया है। इस कारण वादी व प्रतिवादी नं0 1 का

नाम प्रतिवादी नं0 3 के साथ राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना व वादी व प्रतिवादी क्रम 1, प्रतिवादी नं0 3 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।

5— यह कि वादी ने प्रतिवादी नं0 3 से ग्राम बृजपुरा तहसील दीगोद की स्वंय के खाते की व 1/4 हिस्से की शामलाती भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी नं0 1 का प्रतिवादी नं0 3 के साथ नाम दर्ज कराने व खातेदार घोषित कराने को दिनांक 11.04.2022 को कहा तो प्रतिवादी नं0 3 ने वादी व प्रतिवादी नं0 1 को खातेदार घोषित कराने से इन्कार कर दिया। बल्कि वादी को धमकी दी कि वह राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि को खुर्द बुर्द व रहन बेचान कर देगा। जिसका कि प्रतिवादी नं0 3 को कोई अधिकार प्राप्त नही है। यदि प्रतिवादी नं0 3 द्वारा वादी को ग्राम बृजपुरा की भूमि से बेदखल कर दिया गया अथवा भूमियों को रहन बेचान कर दिया गया तो वादी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी।

6— यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है।

7— यह कि वाद कारण प्रतिवादी नं0 3 द्वारा दिनांक 11.04.2022 को वादी को ग्राम बृजपुरा की भूमि से बेदखल करने व वादी व प्रतिवादी नं0 1 का नाम प्रतिवादी नं0 3 के साथ दर्ज कर खातेदार घोषित कराने से इन्कार करते हुये भूमि को रहन बेचान करने की धमकी देने पर पैदा हुआ।

8— यह कि वाद अर्जेन्ट एवं इमीजिऐट रिलीफ से सम्बन्धित है। इस कारण वादी ने वाद में प्रतिवादी नं0 5 राजस्थान सरकार को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत 2 माह का नोटिस नहीं दिया है ओर बिना नोटिस दिये वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके लिए धारा 80(2) जाप्ता दीवानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे:—

(1) कि ग्राम बृजपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता सं0 50 नया, 43 पुराना में खसरा नम्बर 75 की रकबा 0.75 हेक्टर व खसरा नम्बर 76 की 1.05 हेक्टर कुल दो किता की 1.80 हेक्टर भूमि तथा खसरा नम्बर 114 की 2.52 हेक्टर भूमि में से 1/4 हिस्से में वादी व प्रतिवादी नं0 1 का नाम प्रतिवादी नं0 3 के साथ दर्ज किया जाकर खातेदार घोषित किया जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है:—

1— नकल जमाबन्दी ग्राम बृजपुरा खाता सं0 10 सम्वत 2076—2079
2— नकल जमाबन्दी ग्राम बृजपुरा खाता सं0 50 सम्वत 2076—2079
3— नकल छायाप्रति आधार कार्ड कृष्णावतार मीणा
4— नकल छायाप्रति आधार कार्ड बिरधीलाल
5— नकल छायाप्रति आधार कार्ड हरिराम

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादीगण की ओर से श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से उभय पक्ष के अधिवक्ताओ द्वारा आपसी सहमति से जवाब दावा मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत कर आदेशिका पर वादी एव प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने सहमति से

हस्ताक्षर किये गये। उभय पक्षकारान की ओर से राजीनामा निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया:–

1– कि वादी एवं वादीगण की ओर से निम्न राजीनामा पेश किया गया:–

यह कि ग्राम बृजपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता सं0 50 नया, 43 पुराना में खसरा नम्बर 75 की रकबा 0.75 हेक्टर व खसरा नम्बर 76 की 1.05 हेक्टर कुल दो किता की 1.80 हेक्टर भूमि तथा खसरा नम्बर 114 की 2.52 हेक्टर पुश्तेनी भूमि में से प्रतिवादी नं0 3 के 1/4 हिस्से में प्रतिवादी नं0 2 उक्त भूमि में अपना कोई हिस्सा नही लेना चाहती है अपना हिस्सा अपने भाइयों को दे दिया है। प्रतिवादी नं0 2 को उक्त वाद राजीनामा के अनुसार डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नही है। वादी व प्रतिवादी नं0 1 का नाम ,प्रतिवादी नं0 3 के साथ दर्ज किया जाकर सहखातेदार घोषित किया जावे।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि वाद में वर्णित भूमि में वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 को प्रतिवादी नं0 3 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे।

प्रकरण को उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा प्रस्तुत करने पर पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। आदेशिका पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहिचान वादी अधिवक्ता द्वारा करवायी गयी तथा प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा करवायी गयी।

अतः उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने उपस्थित होकर प्रस्तुत राजीनामा पर सहमति प्रकट करने एवं दावा डिक्री किये जाने का ओदश पारित किया जाने पर सहमति व्यक्त की है। अतः वादी का वाद पत्र प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं राजीनामा का गहन अध्ययन व मनन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र, प्रस्तुत राजीनामा अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सहमति से राजीनामा होने पर स्वीकार किया जाकर ग्राम बृजपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता सं0 50 नया, 43 पुराना में खसरा नम्बर 75 की रकबा 0.75 हेक्टर व खसरा नम्बर 76 की 1.05 हेक्टर कुल दो किता की 1.80 हेक्टर भूमि तथा खसरा नम्बर 114 की 2.52 हेक्टर भूमि में से प्रतिवादी नं0 3 का 1/4 हिस्से में वादी व प्रतिवादी नं0 1 का नाम प्रतिवादी नं0 3 के साथ दर्ज किया जाकर सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि सहमति से उक्त राजीनाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद